

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-1
संख्या:- 480 / XV-1 / 15 / 2(26) / 2009
देहरादून : दिनांक 20 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-589/10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 01 जुलाई, 2013 एवं शासनादेश संख्या-10/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल, 2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप पशुपालन विभाग में कार्यरत/सेवानिवृत्त पशुचिकित्साधिकारियों को 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सारणी-1 में उल्लिखित पशुचिकित्साधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित तिथि से वेतनमान ₹ 37400-67000 ग्रेड पे ₹ 8700 तथा सारणी-2 में उल्लिखित पशुचिकित्साधिकारी को कॉलम-6 में अंकित तिथि से वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड पे ₹ 7600 के रूप में तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

सारणी-1

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पशुचिकित्सा अधिकारी के पद पर योगदान की तिथि।	08 वर्ष की सेवा प्रथम वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त होने की तिथि	16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में ग्रेड पे-₹ 7600 अनुमन्य होने की तिथि	26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में ग्रेड पे-₹ 8700 अनुमन्य होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	डा०एस०पी० सिंह	17.04.1976	01.08.1994	01.01.2006	01.09.2008
2.	डा०ए०एस०नेगी	19.02.1977	01.07.1994	01.09.2008	01.09.2008
3.	डा०आर०एस०यादव	04.09.1980	01.01.1994	01.09.2008	01.09.2008
4.	डा०एम०एस०नयाल	08.11.1983	01.01.1994	01.09.2008	08.11.2009
5.	डा० राजेन्द्र कुमार वर्मा	01.05.1984	01.07.1994	01.09.2008	01.05.2010
6.	डा०ए०के० सच्चर	09.11.1983	01.01.1994	01.09.2008	09.11.2009

सारणी-2

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	प्रथम नियुक्ति की तिथि।	पशुचिकित्सा अधिकारी के पद वेतनमान 8000-13500 में पदोन्नति की तिथि।	पशुचिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वैयक्तिक वेतनमान ₹ 10000-15200 (1.1.06 से पुनरीक्षित वेतनबैण्ड ₹ 15600-39100) प्राप्त करने की तिथि।	26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में ग्रेड पे-₹ 7600 अनुमन्य होने की तिथि
1.	2	3	4	5	6
1.	डा०गिरीश चन्द्र बड़थवाल।	07.07.1981	16.03.2001	22.08.2000	01.09.2008

उक्त पशुचिकित्साधिकारियों को तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य किये जाने के रूप में इनका वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों एवं इस संबंध में समय-समय पर निगत शासनादेशों में निहित प्राविधानों/नियमों के अनुसार किया जायेगा।


3. निदेशक, पशुपालन यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्मिकों को उपरोक्त लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में सभी तथ्य शासन के संज्ञान में लाये गये हैं।
4. भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन व अन्य देयको में से एकमुश्त की जायेगी एवं इसका समस्त दायित्व निदेशक, पशुपालन का होगा।
5. उक्त से किसी पशुचिकित्साधिकारी की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

डा०रणबीर सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या- 480 (1)/XV-1/15 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित अधिकारी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव